न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह विशेष न्यायाधीश, सुपौल

सत्रवाद (SC/ST) सं0– 202/2016 (S)
वीरपुर (बलुआ बाजार) थाना कांड सं0– 111/2016

दिनांकः 21/01/2022

काराधीन अभियुक्त योगेन्द्र मुखिया की ओर से पूर्व में दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है, प्रार्थी के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है, प्रार्थी अभियुक्त के ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है, प्रार्थी अभियुक्त को इस वाद में ग्रामीण राजनीति के तहत झूठा फंसाया गया है, प्राथमिकी में लगाया गया सभी आरोप बिल्कुल बनावटी व झुठा है, सत्रवाद सं0 202/16 से दिनांक 19.12.2016 को मूल रेकर्ड से पृथक कर दिया गया, उसमें कुल 05 अभियुक्त थे जिसमें से ललन मुखिया, खोखन मुखिया तथा संजू देवी न्यायिक हिरासत में था तथा सिकेन मुखिया एवं योगेन्द्र मुखिया को फरार कर नीचले न्यायालय से दौरा सुपुर्द किया गया है, न्यायालय द्वारा निर्गत गरैजमानतीय अधीपत्र एवं 82, 83 द0प्र0स0 के आधार पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, प्रार्थी अभियुक्त को सूचन ने अथवा किसी गवाह ने सूचक के पिता मृतक हरिलाल पासवान/चौकीदार 03/08 को खून करते नहीं देखा है, उपरोक्त वाद सारा सुनी सुवाई गवाही पर अधारित है, वीरपुर बलुआ बाजार थाना काण्ड सं0 128/2011 दिनांक 18.08.2011 धारा 302,34 भा0द0वि0 में प्राथमिकी अभियुक्त मनोज मुखिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें प्रार्थी आवेदक के पुत्र जितेन्द्र मुखिया की हत्या हुई थी जिसको लेकर उपरोक्त वाद के सूचक को संदेह है कि उसी विवाद को लेकर प्रार्थी अभियुक्त एवं उसके लड़की ने मिलकर सूचक अर्जून कुमार पासवान के पिता मृतक स्व0 हरि लाल पासवान की हत्या कर दी है, यह बात केश दैनिकी के पारा 03(63) साक्षी रूदनी देवी मृतक की पहली पत्नी एवं केश दैनिकी के पारा 54 में अनु0 पु0 पदा0 के पर्यवेक्षण टिप्पणी रिपोर्ट में दर्ज है, यही बात केश दैनिकी के पारा नं0 72 में मृतक हरिलाल पासवान की दुसरी पत्नी मंजू देवी के भी बयान में आया है, प्रार्थी आवेदक के पास से कोई फंसाव वस्तुए प्राप्त नहीं हुई है, प्रार्थी अभियुक्त के खिलाफ कोई अपराधिक इतिहास नहीं है, प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 06.12.2021 से काराधीन है, प्रार्थी न्यायालय का हर शर्त मानने को तैयार है। अतः जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद सूचक अर्जून कुमार पासवान के लिखित आवेदन के आधार पर प्रार्थी आवेदक सहित कुल 05 अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 302, 201, 120बी0 भा0द0वि0 एवं 3(i)(v) SC/ST Act. के अर्न्तगत वीरपुर (बलुआ बाजार) थाना कांड सं0 111/2016 दिनांक 25.05.2016 दर्ज किया गया। जिसमें सूचक का कहना है कि सूचक के पिताजी हरीलाल पासवान थाना के चौकीदार के पद पर कार्यरत थे। दिनांक 22.05.2016 को सुबह 07 बजे थाना से मिले सम्मन का तामिला कराने हेतु ग्राम विशनपुर घनश्याम जाने की बात बोलकर घर से गये थे। इसी बीच समय करीब 8.50 बजे हल्ला हुआ कि विशनपुर घनश्याम, गोड़ी मुहल्ला से पश्चिम गेरा घार में एक शव पड़ा हुआ हैं। यह सूनकर सूचक भी शव देखने गया तो पाया कि वहां बहुत से ग्रामीण एकत्रित है और शव को देख रहे थे। शव, पट पानी में पड़ा हुआ था और टीशर्ट शव का पिताजी के जैसा लगा तो सूचक ध्यान से देखा तो पाया कि उक्त शव सूचक के पिताजी का ही है। शव को प्रशासन के द्वारा पानी से निकाला गया और चित किया गया तो देखा कि पिताजी को तेज धारदार हथियार से गला काटा गया है एवं सीना फाड़ दिया गया हैं, खून निकल रहा है। तब सूचक घटना के संबंध में पता करने लगा, पता करने पर जानकारी हुई कि पिताजी गोड़ी मुहल्ला में कुछ सम्मन तामिला पश्चात् गांव से पश्चिम पीपल पेड़ के नजदीक का पान दुकान पर अपने से पान बनाकर खायें और बोले कि शोच जा रहे है। शोच की बात बोलकर वे शोच गये और उसके बाद गोड़ा धार में पनछुआ करने गये कि इसी बीच गेड़ा धार से पूरब केला के बगल में घात लगाकर बैठे ललन मुखिया, सिकेन मुखिया, योगेन्द्र मुखिया ने दौड़ते हुए गये और पिताजी को योगेन्द्र मुखिया सिर का बाल पकड़कर पटक दिया एवं अपने

पैर से दोनों हाथ दबा दिया। इसके बाद सिकेन मुखिया पिताजी के दोनों पैर पकड़ लिया और ललन मुखिया अपने हाथ में धारदार हथियार से गला काट दिया और सीना भी फाड़ दिया। सूचक के पिताजी घ ाटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। इन तीनों के अलावे अन्य दो व्यक्ति वहां से पहले भाग निकले। तत्पश्चात तीनों बगल के गहवर में प्रणाम किया और अपने घर गये। अपना चापाकल पर तीनों अपने कपड़े में लगे खून को धोया एवं ललन मुखिया तेज धारदार हथियार को धोकर अपने घर में रख दिया। इसके बाद वे तीनों अपने घर से पूरब दिशा में भाग गये। आगे गहन रूप से पुछताछ करने पर पता चला कि मुदालय योगेन्द्र मुखिया की पत्नी संजू देवी को पीपल के पेड़ के नीचे गांव ही का खोखा मुखिया ने कहा कि क्या देख रहे हो, चौकीदार हरीलाल पासवान निहत्थे आया है एवं सुनसान जगह पर शौच करने गया है। यही सही वक्त है। 2011 में हुए तुम्हारे बेटे की हत्या का बदला लेने का, नहीं तो तु सपरिवार बहुत पछताओगे। यह सुनकर संजू देवी भागी–भागी अपने घर जाकर अपने पति एवं उपरोक्त दोनों बेटा तथा अज्ञात दो को समझाया कि आज हरीलाल चौकीदार का अंत करके मुझे मुँह दिखाओगे नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। यह सुनते ही संजू देवी के पति एवं दोनों पुत्र एवं दो अज्ञात घटना का अंजाम दे दिया। सूचक को पूर्ण विश्वास है कि योगेन्द्र मुखिया उसकी पत्नी संजू देवी तथा बेटा सिकेन मुखिया तथा ललन मुखिया एवं खोखा मुखिया तथा दो अज्ञात अन्य अपराधी षड़यंत्र के तहत सूचक के पिता का गला काटकर एवं सीना फाड़कर निर्मम हत्या किये।

अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। प्राथमिकी में अभियुक्त के विरूद्ध सह अभियुक्त के साथ मिलकर सूचक के पिता का तेज धारदार हथियार से गला काटकर एवं सीना फाड़ कर हत्या करने का आरोप है। प्रस्तुत वाद में अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर प्रार्थी आवेदक योगेन्द्र एवं सिकेन मुखिया को फरार दिखाते हुए प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त ललन मुखिया, संजू देवी एवं खोखा मुखिया के विरूद्ध आरोप पत्र सं0 63/2016 दिनांक 20.08. 2016 समर्पित किया गया हैं। प्रस्तुत वाद सत्रवाद 202/2016 का पूरक अभिलेख है तथा सत्रवाद सं0 202/2016 दिनांक 19.05.2018 को इसी न्यायालय से निष्पादित किया जा चुका है जिसमें अभियुक्तों को दोषी पाया गया है। प्रार्थी आवेदक को न्यायालय द्वारा निर्गत गैर जमानतीय अधीपत्र, 82, 83 द0प्र0स0 के प्रोसेस के अधार पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थी आवेदक दिनांक 06.12.2021 से काराधीन है। अभियुक्तं पर लगाया गया आरोप काफी जघन्य प्रकृति का है। फलस्वरूप उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर अपराध की प्रकृति देखते हुए प्रार्थी को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं समझता हूँ। तदनुसार प्रार्थी अभियुक्त योगेन्द्र मुखिया की ओर से दाखिल जमानत आवेदन न्यायहित में खारिज किया जाता है।

Sd/-
(अशोक कुमार सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम–
सह–विशेष न्यायाधीश, सुपौल